

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु./2013-14/ 9186 दिनांक 18/9/15

:: स्वीकृति आदेश ::

नगरीय निकायों को वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015 (तीन माह) तक के लिए स्वीकृत क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु./2013-14/8311-8511 दिनांक 14.09.2015 चुंगी पुनर्भरण अनुदान की तृतीय किस्त की राशि में से पेंशन अंशदान की बकाया राशि के पेटे कुल राशि रुपये 5.28 लाख की कटौति विभागीय स्तर पर की गयी है।

उक्त राशि रुपये 5.28 लाख (अक्षरे रुपये पाँच लाख अठाईस हजार मात्र) कोष कार्यालय सचिवालय जयपुर के माध्यम से निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29	जमा मद
2217 - शहरी विकास	8011- बीमा तथा पेंशन निधि
80 - सामान्य	106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता	(02)-नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधियां
(03) - विशेष अनुदान [00]	राशि रुपये 5.28 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना भिन्न)	
राशि रुपये 5.28 लाख	
कुल राशि 5.28 लाख	कुल राशि 5.28 लाख

इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171500956 दिनांक 10.09.2015 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु./2013-14/9187-9204 दिनांक 18/9/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति अनुसार राशि रुपये 5.28 लाख सम्बन्धित मद में समायोजन की स्वीकृति जारी करावें।
02. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
03. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-III) विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
05. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
06. लेखाधिकारी(पेंशन), निदेशालय।
07. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, राजलदेसर, सादुलशहर।
08. प्रभारी ई-गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. अंक मिलान शाखा/सुरक्षित पत्रावली।

मधु रतौड़
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(229)वित्त-1(1)आय व्ययक/2014/

दिनांक 05.10.2015

कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय,
शासन सचिवालय, जयपुर

(स्वीकृति संख्या 324 /2015-16)

विषय : वर्ष 2015-16 में नगरीय निकायो को चुंगी पुनर्भरण अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत माह अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2015 तक तृतीय किस्त की राशि में से विभागीय स्तर पर काटी गई राशि के समायोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प. 6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2013-14/9186-9204 दिनांक: 18.09.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा विभागीय स्तर पर काटी गई राशि रुपये 5.28 लाख (अक्षरे रुपये पाँच लाख अठाईस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए निम्न बजट मद में समायोजित कर दिया जावे :-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29	जमा मद
2217 - शहरी विकास	8011- बीमा तथा पेंशन निधि
80 - सामान्य	106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
192 - नगर पालिकाओं/नगरपरिषदों को सहायता (03) - विशेष अनुदान [00]	(02)-नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पेंशन निधियां
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना भिन्न) राशि रुपये 5.28 लाख	राशि रुपये 5.28 लाख
कुल राशि 5.28 लाख	कुल राशि 5.28 लाख

भवदीय

W. S. Singh
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, चूरू/श्रीगंगानगर।
06. आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, राजलदेसर, सादुलशहर।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

W. S. Singh
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)